

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)24/2014 56 (आवंटन) भू0 सं0, पटना, दिनांक 30-06-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह (वि.प्र.से),
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप निदेशक (शष्प) भूमि संरक्षण, मुख्यालय
बिहार, पटना।

विषय :

केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP {2012-13 (Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI)} के योजना कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2015-16 में राज्यांश की राशि के अन्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु 0.9213 करोड़ (बिरानवे लाख तेरह हजार) रु0 वर्ष 2015-16 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप 0.9213 करोड़ (बिरानवे लाख तेरह हजार) रु0 की राशि का आवंटन।

महाश्व,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या 3005 दिनांक 17.06.2015 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP {2012-13 (Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI)} के योजना कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2015-16 में राज्यांश की राशि के अन्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु 0.9213 करोड़ (बिरानवे लाख तेरह हजार) रु0 वर्ष 2015-16 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु 0.9213 करोड़ (बिरानवे लाख तेरह हजार) रु0 की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त 0.9213 करोड़ (बिरानवे लाख तेरह हजार) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, माँग संख्या-1, उपशीर्ष- 0313 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- P2402001020313 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंधित राशि 15.60 करोड़ रुपये से की जायेगी।

3. आवंटित राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दी जा रही है।

5. 6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के पश्चात अविलम्ब टी0भी0 नम्बर के साथ व्यय विवरणी निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह) 26/6/15

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 56 (आवंटन) भू0सं0, पटना, दिनांक 30-06-2015

प्रति :- 1. महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

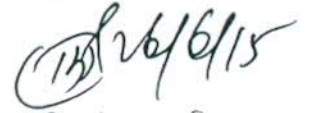
(रामजी सिंह) 26/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक - 56 (भावन)

/भू0सं0, पटना, दिनांक 30-06-2015

प्रति :- विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक, उद्यान, बिहार/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा भूमि संरक्षण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।

